संख्या–1854 / 14–2–2017–800 (194) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

**वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2** **लखनऊ, दिनांक** 23 **अगस्त 2017**

विषयः– अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (एमडीआर–82डब्लू) किमी0 01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / यूपी / 06 / 05 / 2017 / एफसी / 141, दिनांक 14–7–2017 एवं संख्या–8बी / यूपी / 06 / 05 / 2017 / एफसी / 181, दिनांक 27–7–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–456 / अलीगढ़ / 14208 / 2015, दिनांक 17–8–2017 के द्वारा अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख सी0डी0 सहित आपके कार्यालय को प्रेषित करते हुये शासन को पृष्ठांकित किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र, दिनांक 17–8–2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से आपको अवगत कराते हुये अनुरोध है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः– यथोपरि।**

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–1854(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।